राजस्थान दिवस पर मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान का शुभारंभ किया

19 मार्च से 15 मई तक अभियान के दौरान गांवों और वार्डों के विकास का बनेगा रोडमैप : मुख्यमंत्री

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान दिवस पर विकास को जनआंदोलन का रूप देने की बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान का विधिवत शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने अभियान की वेबसाइट और वीडियो का लोकार्पण करते हुए कहा कि यह अभियान विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में एक व्यापक जनआंदोलन की पहल है। 19 मार्च से 15 मई तक अभियान के दौरान सभी ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों के लिए स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से आव्हान किया कि, गांव से लेकर शहर के वार्ड तक विकास की नई सोच को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए तथा इसे गांव के समग्र विकास के साथ ही व्यक्ति के जीवन में सुधार का व्यापक माध्यम बनाया गया।

- गांव के समग्र विकास का मॉडल हो तैयार, आमजन के जीवनस्तर में सुधार का माध्यम बनें : भजनलाल शर्मा
- ग्राम सभाओं तथा शहरी वार्डों में वार्ड सभाओं के जरिए होगा आमजन से संवाद, सुझाव भी लिए जाएंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान दिवस पर ''मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान' का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मास्टर प्लान में आधारभूत ढांचे के विकास के साथ-साथ स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कौशल और रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखा जाए, ताकि गांवों में आबादी के संतुलन के साथ ही शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोका जा सकेगा। प्रत्येक गांव की स्थानीय खेती, वनस्पति, खनिज और पारंपरिक कला एवं उद्योगों की पहचान की जाए। कृषि आधारित क्षेत्रों में प्रोसेसिंग यूनिट, मंडी और वैल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हो सके और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सके।

शर्मा ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार सहित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश करते हुए प्रत्येक गांव की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल तैयार की जाए। इसके लिए जिला कलक्टर प्रत्येक गांव के किसान, युवा, महिलाओं से संवाद करें एवं सुझाव लें। उन्होंने कहा कि राजीविका एवं सहकारी समितियों की तर्ज पर स्थानीय स्तर पर समूह बनाए जाने के प्रयास किए जाए तथा ग्राम पंचायतों के कार्यों के लिए युवाओं की टीम बनाकर सुझाव लिए जाए। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे विकसित राजस्थान और विकसित राष्ट्र का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। ग्राम एवं शहरी वार्ड के लिए तैयार किए जाने वाले मास्टर प्लान डायनामिक होगा, जिसमें अल्पावधि 2030, मध्यावधि 2035 एवं दीर्घावधि 2047 की आकांक्षाएं शामिल होंगी।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, विभिन्न जिलों से मंत्रिगण, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण वीसी के माध्यम से जुड़े।

रंग-बिरंगी आतिशबाजी जगमगाया अल्बर्ट हॉल

हिंदू नववर्ष और राजस्थान दिवस की संध्या पर राजधानी जयपुर का अल्बर्ट हॉल रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में आयोजित राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या में प्रदेश के प्रसिद्ध लोक कलाकारों के लोक गायन, नृत्यों और अन्य मनमोहक प्रस्तुतियों ने आमजन को मंत्रमुग्ध कर दिया। सांस्कृतिक संध्या का समापन रंग-बिरंगी आतिशबाजी से हुआ। पटाखों की रोशनी ने जहां एक ओर अल्बर्ट हॉल की भव्यता को बढ़ाया, वहीं पटाखों की आवाज ने भी शहरवासियों को उत्साह और जोश से भर दिया। फोटो-राष्ट्रदूत

रीको सस्ती दर पर भूमि और भुगतान के लिए आसान किश्तों की सुविधा देगा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा लगातार नीतिगत सुधार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने में सहूलियत मिल सके।

इसी दिशा में राजस्थान दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्यिमयों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इसके तहत अब चिन्हित 30 औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड 33 वर्षों की लीज अवधि के लिए प्रचलित दर की 60 प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उद्यमी कम लागत पर अपना उद्योग स्थापित कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तहत भूमि की कीमत के भुगतान की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, जिसमें निवेशकों को 19 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान करने की सुविधा मिलेगी।

- राजस्थान में ''ईज ऑफ डूइंग'' बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए नई पहल

औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों के उत्पादन में आने के पश्चात् विक्रय किये जाने पर हस्तांतरण पर देय ट्रांसफर चार्ज को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं धर्मकांटा गतिविधि परिवर्तन शुल्क को भी प्रचलित दर के दोगुने के स्थान पर तीन चौथाई कर दिया गया है, जिससे उद्यमियों को अतिरिक्त राहत मिलेगी।

रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में प्लग एंड प्ले सुविधा एवं अन्य नियत उपयोग हेतु भूमि न्यूनतम 20 एवं अधिकतम 25 वर्षों की अवधि के लिए प्रचलित दर के 5 प्रतिशत वार्षिक किराये पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे इन क्षेत्रों में भी औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इसके अतिरिक्त रीको अब औद्योगिक गतिविधियों के साथ-साथ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को भी परिवर्तित नीति के तहत टर्म लोन प्रदान करेगा, जिससे आधारभूत संरचना क्षेत्र में तेजी आएगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कें एवं विद्युत आपूर्ति जैसी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत 25 से अधिक नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही 12 नए फायर स्टेशन और 37 नए फायर टेंडर की व्यवस्था के लिये राशि रूपये 25.70 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इन सभी प्रयासों से रीको औद्योगिक क्षेत्रों में सकारात्मक औद्योगिक वातावरण तैयार होगा, जिससे उद्यिमयों को अपने उत्पादन एवं व्यवसाय विस्तार में सहायता मिलेगी तथा राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी।

सरकार ने पांच जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले

जयपुर (कासं)। राज्य सरकार ने गुरूवार देर शाम आदेश जारी कर भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के 9 अधिकारियों के तबादले किए। इनमें जयपुर ग्रामीण समेत 5 जिलों के पुलिस अधीक्षक तथा जयपुर कमिश्नरेट के उपायुक्त अपराध व ट्रैफिक को भी बदला गया है।

आदेश के मुताबिक चूनाराम जाट को पुलिस अधीक्षक बाडमेर, संजीव नैन को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में उपायुक्त क्राइम तथा योगेश गोयल को उपायुक्त ट्रैफिक के पद पर लगाया है। अनिल कुमार को आर.ए.सी. जयपुर 5वीं बटालियन में कमांडेंड, हनुमान प्रसाद मीणा को जयपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक के पद पर लगाया है। कावेन्द्र सिंह सागर को पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं, पीयूष दीक्षित को पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. जयपुर, ज्येष्ठा मैत्रेयी को पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर तथा निश्चय प्रसाद एम को पुलिस अधीक्षक चूरू के पद पर लगाया है।

नीरजा मोदी स्कूल की संबद्धता वापस लेने वाले आदेश को किया स्थगित

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीरजा मोदी स्कूल में कक्षा 4 की छात्रा के आत्महत्या करने से जुड़े मामले में सीबीएसई के गत 23 फरवरी के उस आदेश को सशर्त स्थगित कर दिया है, जिसके तहत बोर्ड ने स्कूल की कक्षा 11 व 12 की संबद्धता को दो साल के लिए वापस ले लिया था। अदालत ने कहा है कि इसके लिए स्कूल 10 दिन में पांच लाख रुपए सीबीएसई में जमा कराए। इसके साथ ही स्कूल प्रशासन बोर्ड की ओर से गत 3 नवंबर को जताई सभी कमियों को एक माह में दुरुस्त करेगा। अदालत ने कहा कि बोर्ड 45 दिन बाद स्कूल का निरीक्षण करेगा और यदि कोई कमी पाई जाती है तो अदालत में उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश नीरजा मोदी स्कूल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- अदालत ने स्कूल प्रशासन बोर्ड की ओर से बताई गयी कमियों को एक माह में दुरूस्त करने के आदेश दिए

अदालत ने चोर्ड को कहा है कि वह आगामी सुनवाई पर उन स्कूलों की सूची पेश करे, जिनमें वह याचिकाकर्ता के छात्रों को शिफ्ट करना चाहता है। इसके साथ ही इन संस्थानों की सत्यापन रिपोर्ट पेश कर बताया जाए कि इनमें बोर्ड की ओर से निर्धारित मापदंडों के अनुसार कोई कमी नहीं है।

याचिकाकर्ता की ओर से चरिष्ठ अधिवक्ता एके शर्मा और अधिवक्ता रचित शर्मा ने कहा कि घटना के बाद संबंधित शिक्षक को हटा दिया गया है। वहीं सीबीएसई की ओर से बताई कमियों को भी दूर कर लिया गया है। वहीं शेष कमियों की एक माह में ठीक कर लिया जाएगा। याचिका में कहा गया कि सीबीएसई के आदेश से छात्रों के बीच अनिश्चितता पैदा हो गई है, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सीबीएसई ने साल 2024 में स्कूल की मान्यता को मार्च, 2029 तक बढाया था। इसका विरोध करते हुए सीबीएसई के वकील एमएस राघव ने कहा कि स्कूल ने मान्यता संबंधी प्रावधानों की अवहेलना की है। ऐसे बोर्ड की कार्रवाई सही है। वहीं मृतक छात्रा के परिजनों की ओर से अधिवक्ता एसएस होरा ने कहा कि प्रावधानों की अवहेलना पर सीबीएसई को कार्रवाई का अधिकार है। याचिकाकर्ता स्कूल तय दिशा निर्देशों की पालना नहीं कर रही है। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने सीबीएसई के गत 23 फरवरी के आदेश को सशर्त स्थगित कर दिया है।

'जुलाई से पहले स्कूलों का करा लेंगे सेफ्टी सर्टिफिकेशन'

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश की सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों से जुड़े मामले में कहा गया कि आगामी जुलाई माह से पूर्व स्कूलों का सेफ्टी सर्टिफिकेशन करा लिया जाएगा। इस पर अदालत ने कहा कि यदि सर्टिफिकेट गलत मिला तो कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अदालत ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आम आदमी अपना मकान 25 लाख रुपए में बना लेता है, लेकिन सरकार बनाती है तो डढ़ करोड रुपए खर्च हो जाते हैं। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार देखे की लोगों को सहयोग के लिए कैसे जोडा जा सकता है। जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह मौखिक टिप्पणी मामले में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि एक शिक्षक बता रहा था कि रकूल में रिकॉर्ड रखने के लिए अलमारी नहीं है, लेकिन सहयोग से अलमारी का जुगाड हो गया। ऐसे में इच्छाशक्ति हो तो सब कुछ संभव है। राज्य सरकार स्कूलों की लिस्ट सार्वजनिक करे तो देने वाले अपने आप आ जाएंगे। खंडपीठ ने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि कोई भी स्कूल सेफ्टी ऑडिट के बिना नहीं चलेगा। इस पर खंडपीठ के समक्ष एक कमेटी बनाए जाने की बात आई। जिस पर खंडपीठ ने कहा कि एक लाख स्कूलों में कमेटी नहीं जा सकती। इस दौरान एजी राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कमेटी बनाने का प्रावधान है, उसी से करा लेंगे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव से लेकर शासन सचिव स्तर के 25 आई.ए.एस. अधिकारियों का तबादला

अपर्णा अरोडा को मिला खान-पैट्रोलियम विभाग का जिम्मा, अजिताभ शर्मा बने राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राज्य सरकार ने गुरूवार देर शाम आदेश जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के 25 अधिकारियों के के तबादले किए हैं। इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव से लेकर शासन सचिव स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं।

- प्रवीण गुप्ता को सार्वजनिक निर्माण तथा खेल एवं युवा मामलात विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद की जिम्मेदारी मिली
- आलोक गुप्ता ए.सी.एस. यूडीएच तथा वे. सरवण कुमार जयपुर के नए संभागीय आयुक्त बने

आदेश के मुताबिक अखिल अरोडा को अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, अपर्णा अरोडा को अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम, श्रेया गुहा को राजस्थान वित्त निगम की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हरीश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान की महानिदेशक तथ पदेन अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशिक्षण राजस्थान जयपुर का कार्यभार सौंपा है। प्रवीण गुप्ता को सार्वजनिक निर्माण विभाग और खेल एवं युवा मामलातव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का जिम्मा सौंपा गया है। आई.पी.एल. मैच शुरू होने से पहले शासन सचिव नीरज.के.पवन को खेल एवं युवा मामलात विभाग से हटाकर इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान का महानिदेशक बनाया गया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव अजिताभ शर्मा को राजस्व मंडल अजमेर का अध्यक्ष तथा ग्रामीण अकृषि क्षेत्र विकास अभिकरण (रूडा) जयपुर के अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी गई है। आलोक गुप्ता को नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर लगाया गया है। दिनेश कुमार को अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, जन अभियोग निराकरण, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग जयपुर, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं पंचायतीराज तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव बाल अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार राजेश कुमार यादव को अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा पुस्तकालय विभाग एवं पंचायतीराज (प्रारंभिक शिक्षा) तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग के पद पर लगाया है।

हेमंत कुमार गेरा को प्रमुख शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग, टी.रविकांत को प्रमुख शासन सचिव राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग, भवानी सिंह देथा को प्रमुख शासन सचिव परिवहन विभाग तथा राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। विकास सीतारामजी भाले को प्रमुख शासन सचिव पशुपालन, मत्स्य एवं गौपालन विभाग, डॉ. देबाशीष पृष्टि को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष के पद पर लगाया है। कृष्ण कुणाल को शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, डॉ. नीरज के.पवन को इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान के महानिदेशक, डॉ. समित शर्मा को शासन सचिव एवं पंजीयक सहकारिता विभाग तथा राजफैड प्रशासक के पद पर लगाया है।

डॉ. आरूषि अजेय मलिक को शासन सचिव एवं आयुक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा राजस्थान राज्य भंडारण निगम की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं शासन सचिव, शांति-अहिंसा विभाग के पद पर लगाया है। डॉ. जोगाराम को शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग, पूर्णचंद्र किशन को शासन सचिव, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ईएसआई) विभाग जयपुर के पद की जिम्मेदारी सौंपी है। पी. रमेश को प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लि. उदयपुर, पूनम को शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग (महिला एवं बाल विकास), आरती डोगरा को शासन सचिव ऊर्जा विभाग, डिस्कॉम्स अध्यक्ष, जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक तथा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम की अध्यक्ष बनाया है। आनंदी को आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग जयपुर, शुचि त्यागी को शासन सचिव पर्यटन, कला-साहित्य विभाग, जवाहर कला केन्द्र की महानिदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की अध्यक्ष, आमेर विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा देवस्थान विभाग की शासन सचिव के पद पर लगाया है।